E-Mail

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0–03 / भू0अ0नि0 (7) अपील–04 / 2024.........................

आदेश

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 653 दिनांक 05.02.2024 के विरुद्ध अपीलार्थी श्री कन्हाई कुमार (Emp. ID No.- AEN02925), संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा द्वारा "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8 (4)" में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील दायर किया गया है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर अपील की सुनवाई की गयी।

अपीलार्थी अनुपस्थित।

अपीलार्थी का वाद संक्षिप्त रूप में निम्नवत है :–

अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक 136 दिनांक 28.05.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री कन्हाई कुमार द्वारा आवंटित राजस्व ग्राम– सिनावा–144 के सभी रैयतों का रकवा प्रपत्र–6 में गलत इन्ट्री कर दिया गया है, जिसके कारण एल0पी0एम0 वितरण होते ही वहाँ के रैयतों द्वारा शिविर कार्यालय में हंगामा किया गया एवं कुछ रैयतों द्वारा इन पर सर्वे में अवैध राशि की वसूली करने का आरोप लगाया गया।

उक्त आरोपों की जाँच सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी–सह–नोडल पदाधिकारी से कराते हुए श्री कुमार को जानबूझकर रकवा की गलत इन्ट्री करने एवं रैयतों से अवैध राशि की वसूली का दोषी पाते हुए संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी ।

उक्त अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 4770 दिनांक 08.06.2023 द्वारा अपीलार्थी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । स्पष्टीकरण में इनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि इन पर लगाए गए सारे आरोप तकनीकी खराबी, राजनीतिक एवं शिविर प्रभारी द्वारा मानसिक रुप से प्रताड़ित कर गलत काम करने के लिए किया गया है।

श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर निदेशालय द्वारा बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालन्दा से मंतव्य की माँग की गयी। बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा इनके स्पष्टीकरण में वर्णित तथ्यों की जाँच क़र श्री कुमार को दोषी पाया है।

स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त श्री कुमार को दोषी मानते हुए निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा इनका संविदा नियोजन समाप्त किया गया है।

अपीलार्थी दिनांक 16.07.2024 के बाद सुनवाई की निर्धारित विभिन्न तिथियों पर अनुपस्थित रहे।

सुनवाई की निर्धारित तिथि 17.04.2025 को अपीलार्थी को अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 15.05.2025 को तिथि निर्धारित की गयी। उक्त तिथि को भी अपीलार्थी अनुपस्थित है।

उक्त से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को वाद में कोई रुचि नही है। अतः अपीलार्थी के लगातार तिथियों पर अनुपस्थित रहने के दृष्टिगत अपील को खारिज किया जाता है।

ह0 / –
अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–04/2024 3495 पटना, दिनांक :– 05/06/2025

प्रतिलिपिः– श्री कन्हाई कुमार (Emp. ID No.- AEN02925),संविदा समाप्त पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा, ईमेल– kanhaicivil8507@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

05/06/2025

विशेष कार्य पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–04/2024 3495 पटना, दिनांक :– 05/06/2025

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालंदा/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

05/06/2025

विशेष कार्य पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–04/2024 3495 पटना, दिनांक :– 05/06/2025

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

05/06/2025

विशेष कार्य पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–04/2024 3495 पटना, दिनांक :– 05/06/2025

प्रतिलिपिः– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

05/06/2025

विशेष कार्य पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–04/2024 3495 पटना, दिनांक :– 05/06/2025

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

05/06/2025

विशेष कार्य पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/भू0अ0नि0 (7) अपील–04/2024 3495 पटना, दिनांक :– 05/06/2025

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/06/2025

विशेष कार्य पदाधिकारी
भू–अभिलेख एवं परिमाप